



कार्यालय नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छ.ग.)

सम्पत्ति कर स्व-निर्धारण सम्बन्धी विवरणी वर्ष 2009-10

(नियम 10 (1) देखिए)

2025-26

वार्ड क्रमांक	34
परिक्षेत्र क्रमांक	01

- सम्पत्ति के स्वामी का नाम
(पिता/पति का नाम सहित) एवं स्थायी पता (ई-मेल आई.डी./मोबाइल नंबर)
Nikhil Dewangan
S/o Late - Ramadhar Dewangan
Sant Ravidas Nagar
ward Bilespur
- सम्पत्ति कहाँ स्थित है, का पूरा पता /खसरा नम्बर
- निर्मित क्षेत्र (नियम 2 ज)
- निर्माण किस प्रकार का है (नियम 4 क)
- सम्पत्ति किस प्रकार आशय के लिए उपयोग में है।
(नियम - 4 ख) आवासीय (आवा)
- खुली भूमि (धारा 138 (एक) के तहत) का क्षेत्रफल
आवासीय परिसर | व्यावसायिक परिसर
वेसमेण्ट
भूतल
मेजनाइन
प्रथम तल
द्वितीय तल
तृतीय तल
चतुर्थ तल
खुली भूमि 1227 Sqft
- वार्षिक भाड़ा मूल्य के गणना हेतु
अवधारित प्रति वर्गफीट वार्षिक दर पर जो
प्रासंगिक हो (नियम-6)
- गणना किया गया वार्षिक भाड़ा का मूल्य
(नियम-10) रु.
- मूल संपत्तिकर रु.
- देय संपत्तिकर रु.

नोट - (1) वार्षिक भाड़ा मूल्य में छूट हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 5-25/2016/2018 नया रायपुर दिनांक 30/01/2017 के अनुसार विहित दर

श्रेणी	खरखाव (भवन)	निजी निवास भवन	नेत्रहीन/परित्यक्ता/तलाकशुदा (निराश्रित) (धारा 136 (एफ) की शर्तों के प्रावधान के अनुसार)	विधवा (निराश्रित)	नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण तथा भागीदारी अधिनियम 1995 के अन्तर्गत नि:शक्त)	शैक्षणिक संस्था आयकर अधिनियम 1361 की धारा 12 (क) के तहत पंजीकृत धारा 136(सी) के प्रावधान के अनुसार
छूट	10%	50%	50%	प्रथम 12000 वार्षिक भाड़ा मूल्य	25%	संपूर्ण छूट 100%

- नगर पालिक निगम की धारा 138(3) के अंतर्गत यदि कोई भी भवन या भूमि स्वामी विवरणी प्रस्तुत करते हैं, विवरणी में 10% से अधिक अंतर है जिसे 60 दिनों के भीतर उसमें हुई त्रुटि के कारण पुनरीक्षण विवरणी प्रस्तुत करना चाहे तो कर सकते हैं। 60 दिन पश्चात् जाँच के उपरांत भवन स्वामी देय राशि के अंतर की राशि का 5 गुना अर्थदंड देय होगा।
- वित्त वर्ष समाप्त होने के पश्चात् बकाया देय करों में 15% वार्षिक दर से अतिरिक्त अधिभार राशि देय होगा।
- 31 मार्च के पूर्व स्व निर्धारण विवरणी पत्रक प्रस्तुत नहीं करने पर नियमानुसार (धारा 138 दो (क)) 1000 रुपये की शास्ति देय होगी।
- 500 वर्गफीट से कम क्षेत्रफल वाले कवेलु छत सहित कच्चे मकान एवं गृह निर्माण योजनान्तर्गत निर्मित शहरी गरीबों के लिए आवास, धारा 136 (बी) के प्रावधान के अनुसार संपत्तिकर से 100% की छूट होगी शेष भूमि/भवन पर नियमानुसार संपत्तिकर अधिरोपित किया जायेगा।

भूमि एवं भवन स्वामी के हस्ताक्षर

(कृपया अगला पृष्ठ देखें)